19

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु. 5

Rs. 5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

1.243X 1197859
14,88,938/-

निबंधन अधिनियम..........21..........के अधीन और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की धारा..........के अधीन भी ग्राह्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के खण्ड........23.....के अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

8.1.18

निबंधन पदाधिकारी

बिक्रय पत्र

बिक्रेता :–श्री उमा शंकर पंडित, पिता स्वर्गीय शिवनारायण पंडित, जाति कुम्हार, पेशा काश्तकारी, साकिन रूपसागर, थाना देवघर, वर्तमान पता जसीडीह, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य–झारखण्ड राष्ट्रीयता :–भारतीय।

आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 499 ... दिनांक 19/6/17 के आलोक में शुल्क ...

01 NOV 2017

संख्या 5305

अनिता सिंह
सा० कृष्णापुरी देवघर
वास्ते - क्रेवाला

5×1 / 5/-

पाँच रुपये मात्र

[illegible] 2/1/18

Attested
Sitaram Pandit
Uma Shankar Pandit

Uma Shankar Pandit
8.1.18

[illegible] प्रेमित..पिता नाम श्री/स्व०..शिव नारायण पंडित
..........निवास स्थान..रूप नारायण..
[illegible]....पेशा..सेवा.........को लेख्यकारी/दावेदार
[illegible]........द्वारा प्रमाणितकृत मुख्तारनामा
[illegible]......के अधीन लेख्यकारियों या दावेदारों
[illegible]..........के अभिकर्ता (अटर्नी) है ने
[illegible] पूर्वाह्न/अपराह्न में..10.57.....
[illegible] निबंधन के लिए पेश किया । 8.1.18

[illegible] हस्ताक्षर

निबंधन पदा० का हस्ताक्षर

जिला अवर निबंधक
सत्यमेव जयते
दफ्तर का मुहर

Uma Shankar Pandit

क्रेता :–श्रीमती अनिता सिंह, पति श्री सुमन कुमार सिंह, जाति राजपूत, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन कृष्णापुरी, देवघर, थाना देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य–झारखण्ड, राष्ट्रीयता :–भारतीय।
आधार कार्ड व पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार :–बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :–मो0 15,00,000/–पन्द्रह लाख रूपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :–निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, तालुक रोहिणी, सामील मौजा सलौनाटॉड न0 233 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 286 रकवा स्थानीय माप से 17 (सतरह) कटठा, 15 (पन्द्रह) धुर, यानि 1.03 एकड़ (एक एकड़ तीन डिसमिल) जमीन को हृदय रंजन सिन्हा पिता स्वर्गीय राजेन्द्र नाथ सिन्हा, साकिन बैद्यनाथधाम देवघर, थाना देवघर, जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, तत्कालीन वर्तमान साकिन कुमकुम सिंह लेन पटना–5 के निवासी ने दिनांक 15/04/1942 ईस्वी में एक कीता पटटा के द्वारा, रोहिणी ईस्टेट से प्राप्त किया व उसपर दखल कब्जा लेकर धार्य सालाना खजाना 17.75 रूपया पहले रोहिणी ईस्टेट को और ईस्टेट भेष्ट कर जाने पर, अंचल अधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार को आदाय करते हुए व उसपर निर्विवाद रूप से दखलकार रहते हुए दिनांक 30/06/1978 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 22, पृष्ठ संख्या 170 से 175 में निबंधित जिसकी संख्या 3132 वर्ष 1978 ईस्वी के द्वारा रकवा 7,500 वर्गफीट, अन्दर टाउन प्लान प्लाट न0 286 का अंश मार्क J. K. L., अन्दर जमाबंदी न0 21/3432 (F), अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश भाग कुल हक हकूक, उपर्युक्त मुझ बिक्रेता के पास बिक्री कर दिया, बिक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न।

Scanned with CamScanner

Uma Shankar Pandit

उपर्युक्त में बिक्रेता उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर [illegible] अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 279/1980–81 के द्वारा दिनांक 30/12/1980 ईस्वी के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करा कर सालाना खज़ाना आदाय करते हुए बहैसियत पूर्ण मालिक आजतक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हूँ, नामान्तरण आदेश व खजाना रसीद की छायाप्रति संलग्न।

अंचल कार्यालय देवघर से निर्गत ज्ञापांक 1899/रा0, देवघर, दिनांक 22/12/2017 की प्रति संलग्न।

अभी मुझ बिक्रेता को अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रुपया की सख्त जरूरत है, इसलिये रकवा 541.5 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण नीचे अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर अपने संचित स्त्री–धन से खरीद करने की इच्छा जाहीर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 15,00,000/–पन्द्रह लाख रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख उपर्युक्त मैं बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 15,00,000/–पन्द्रह लाख रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अब आप क्रेता, मुझ बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारिणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग दखल, दान, बिक्री, मौरगेज़ व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें मुझ बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

Scanned with CamScanner

Uma Shankar Pandit

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति का मैं बिक्रेता ही एकमात्र मालिक हूँ, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किया हूँ, हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, मुझ बिक्रेता या वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता या वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहूँगा।

अतएव आज तारीख मैं बिक्रेता अपने स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 08.01.2018

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं0 253, जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामील मौजा सलौनाटॉड महल्ला विलियम्स टाउन के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी स्वत्व की हस्तान्तरणीय जमीन टाउन प्लान प्लाट न0 286 का अंश मार्क "K" का अंश रकवा 541.5 वर्गफीट (पॉच सौ एकतालीस दशमलव पॉच वर्गफीट) यानि 1.243 डिसमिल परती व खाली जमीन, अन्दर जमाबंदी न0 21/3432 F/2, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, देवघर नगर निगम वार्ड न0 15, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किया, जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–बिक्रेता की जमीन व मकान।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 50'–00" फीट।

दक्षिण :–बिक्रेता की जमीन।

इधर की माप पुरबा पश्चिमा 50'–00" फीट।

पुरब :–बासुदेव झा वगैरह की जमीन मार्क "N"

इधर की माप उत्तरा दखिना 10'–10" फीट।

पश्चिम :–10'–00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।

इधर की माप उत्तरा दखिना 10'–10" फीट।

Scanned with CamScanner

Uma Shankar Pandit

घोषणा :–उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है तथा [illegible] से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। [illegible] बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ [illegible] भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभ[illegible] के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि [illegible] अन्तर्गत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदि [illegible] खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अन्तर्गत भी नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सी. [illegible] आई जाँच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह [illegible] रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो [illegible] संगत कानूनी कार्रवाही का भागी होउँगा।

गवाहान

Satya deo Pandit
S/O - UMA SHANKAR PANDIT
WILLIAMS TOWN, DEOGHAR
M-N → 8404999483

Saty

प्रवीण कुमार सिंह — कृष्णापुरी देवघर
स्व-कृष्ण प्र० सिंह

Scanned with CamScanner

Uma Shankar Pandit

<u>रकम प्राप्ति रसीद</u>

चेक न0 545276 दिनांक 27/12/2017 इण्डियन बैंक देवघर रकम 15,00,000/—पन्द्रह लाख रूपये कीमत के कुल चुकती रकम।

[illegible signature]

Scanned with CamScanner

Uma Shankar Pandit

बिक्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं टीप निशान

Attested Sitaram Pandit

Uma Shankar Pandit

M-N- 8404999483

Uma Shankar Pandit

क्रेता का फोटो, हस्ताक्षर एवं टीप निशान

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूप कर्ता सीताराम पाण्डेय
डीडरायटर देवघर, दिनांक 08. 01. 2018
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज मे लगा
है, के बॉये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं, सीताराम पाण्डेय
डीडरायटर देवघर, दिनांक 08. 01. 2018

L.N. 37 (...)

Scanned with CamScanner

क्रेता का छाया चित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान –

	Anita Singh. 84[illegible]				

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया प्रारूप कर्ता सीताराम [illegible]
डीडरायटर देवघर 08.01.2018

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में [illegible]
के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं, सीताराम पंडित
डीडरायटर देवघर 08.01.2018 L.N. 37(5) [illegible]

PLAN OF [illegible] MOUZA- SALONATAND NO. [illegible] WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO- [illegible] PART OF [illegible] SHOWN IN RED COLOUR BELONG'S TO SRI UMA SHANKAR PANDIT S/O SHIVNARAYAN PANDIT OF VILL- RUPSAGAR P.S- JASIDIH. DIST- DEOGHAR. & NOW SOLD TO Smt. ANITA SINGH W/O SRI SUMAN KUMAR SINGH OF KRISHNA PURI, P.S & DIST- DEOGHAR.

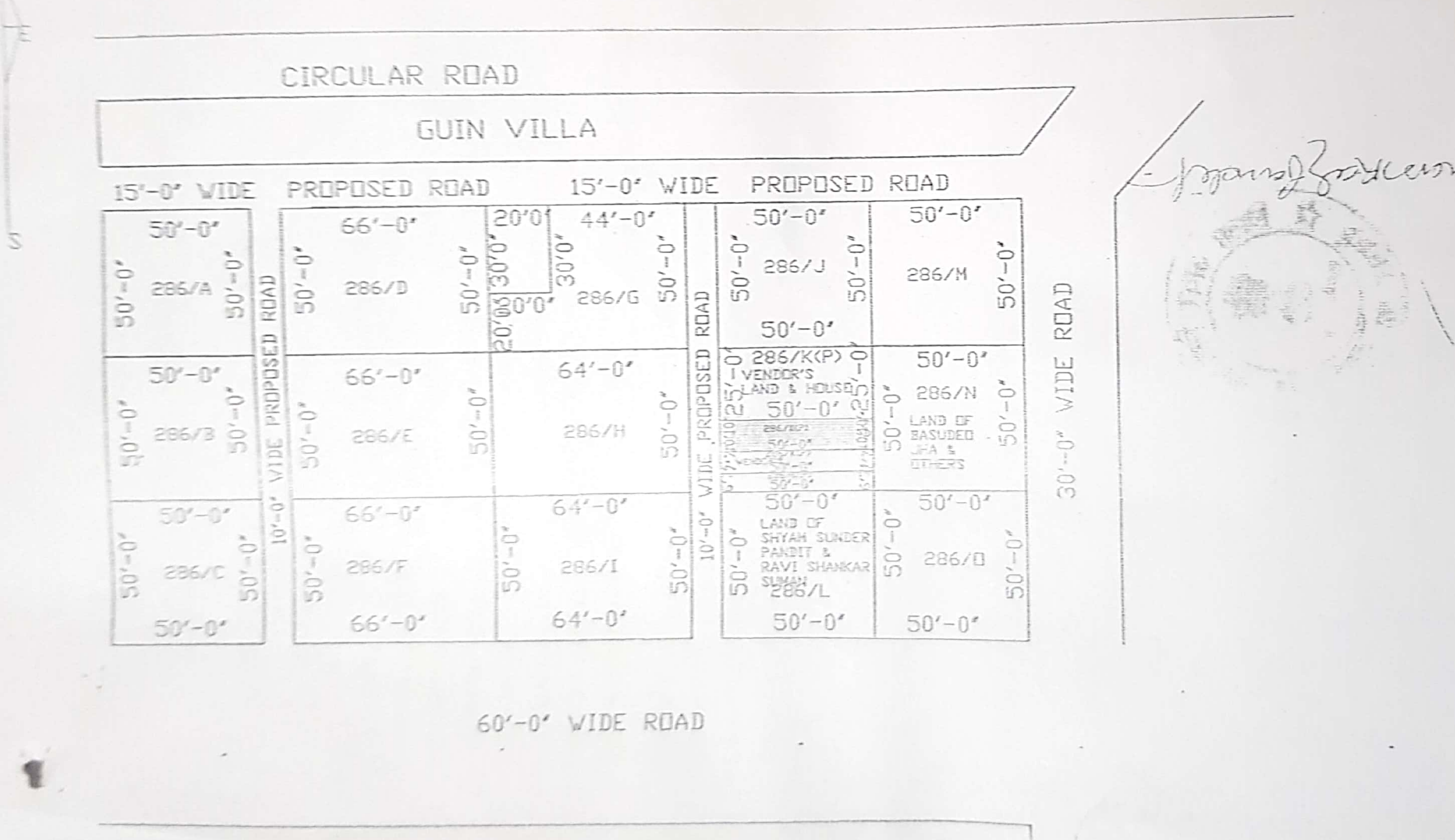

643 20125949888 569

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-JH28737675977365S
Certificate Issued Date	:	15-Jun-2020 12:30 PM
Account Reference	:	GOVACC (GV)/ jhsrogv07/ DEOGHAR/ JH-DG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-JHJHSROGV0742705275399348S
Purchased by	:	NAUMITA KUMARI
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	SALE DEED
Consideration Price (Rs.)	:	16,39,000 (Sixteen Lakh Thirty Nine Thousand only)
First Party	:	ANITA SINGH
Second Party	:	NAUMITA KUMARI
Stamp Duty Paid By	:	NAUMITA KUMARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	65,600 (Sixty Five Thousand Six Hundred only)

--Please write or type below this line--

निबंधन अधिनियम......1908..........के अधीन
और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की
धारा.........21...........के अधीन भी ग्राह्य है और
इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के
खण्ड.........23.......के अधीन यथावत स्टाम्प सहित
(या स्टाम्प शुल्क के विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

Sale
1639000/-

P.S
Deoghar

1460
AD

feepaid

A(1) - 49170-
LL - 5-
PR - 2-

निबंधन पदाधिकारी
15/06/2020

0011157702

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

Scanned with CamScanner